न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 05/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–20.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	मानपुर	227/2019	27.07.2019	13 RPGO	174/2019	30.07.2019	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 02.08.2019
2.	मानपुर	25/2020	28.01.2020	13 RPGO	15/2020	31.01.2020	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 07.02.2020

उक्त शख्स जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित आये एवं गैर सायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना मानपुर में जुंअे सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है। जिसमे गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्त हो गया है। गैर सायल का स्वछन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। अतः गैर सायल जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब है तथा फैन्सी आइटम की दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी किसी गैंग का लीडर नहीं है। गैर सायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप कतई असत्य व बेबुनियाद दर्ज किये गये है। प्रार्थी के विरूद्ध अब तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की परिधि में आता हो। प्रार्थी के विरूद्ध जो प्रकरण बताये गये है उनका निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी शान्तिपूर्वक रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

बहस लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल जयराम पुत्र श्री खेमचन्द जाति सैनी निवासी ढाणी मानपुरिया तन मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को दिनांक 21.03.2024 से 45 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र हिण्डौन सिटी जिला करौली में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं करौली को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested